न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पिठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 56/2011

उनवान मुकदमा

1 सुजल पुत्र श्री करण उम्र 9 वर्ष की वलिया व माता श्रीमती हेमलता पत्नी श्री करण तेली उम्र 25 वर्ष हाल निवासी अपने पिता स्व.कन्हैयालाल तेली निवासी उपला भोईवाडा,बांसवाडा(राज.)कालु पिता श्री बारजी चारेल ,जाति भील ,उम्र वयस्क,निवासी आबापुरा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

2 चिन्टू पुत्र श्री करण उम्र 5 वर्ष की वलिया व माता श्रीमती हेमलता पत्नी श्री करण तेली उम्र 25 वर्ष हाल निवासी अपने पिता स्व.कन्हैयालाल तेली निवासी उपला भोईवाडा,बांसवाडा (राज.)

वादीगण

बनाम

1 श्री करण तेली पुत्र श्री गौतम तेली जाति तेली उम्र 30 वर्ष निवासी मकरानीवाडी,सूरजपोल,बांसवाडा (राज.)

2 श्री पंकज तेली पुत्र श्री गौतम तेली जाति तेजली उम्र वयस्क निवासी मकरानीवाडी, सूरजपोल, बांसवाड़ा (राज.)

3 श्रीमती कलावती बेवा श्री गौतम तेली जाति तेली उम्र 60 वर्ष निवासी मकरानीवाडी, सूरजपोल, बांसवाडा (राज)

4 श्री तहसीलदार बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

अभिभाषक :—

1. श्री यशपाल गुप्ता वादी की तरफ से
2. श्री आकाश पटेल प्रतिवादी की ओर से

दिनांक :— 30.12.2019

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 53 ,209 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की खाता संख्या 121 नया व 110 पुराना के खसरा 777/1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा लगान 5.74 रू.व खसरा नंबर 2263 रकबा 05 बिस्वा लगान 0.06 रू.कुल खेत 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल लगान 5.80 रू. वाके ग्रम बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:23 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप काबीज होकर काश्त कर रहे है । पूर्व मे उक्त खसरा नंबरान जमाबंदी 2042 से 2045 में वादीगण के पडदादा व प्रतिवादी 1 लगायत 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3 के दादा ससुर श्री हिरजी पिता गलबा के नाम खाता संख्या 615 नया व 549 पुराना दर्ज रेकार्ड था । हिरजी की मृत्यु पर बजरिये नामांतरकरण संख्या 1614 दिनांक 20.07.1998 को उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई । ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण वारिसान का नामांतकरण है एवं उक्त कृषि भूमि पैतृक होकर मौरूसी जायदाद है, जिसमें वादीगण के जन्म से ही हक,हित,हिस्सा व अधिकार निहित हो गये है , वाद का कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त मौरूसी खाते की भूमि को विक्रयकरने हेतु माह मार्च 2011 में उतारू होने से व वादीगण द्वारा उक्त भूमि विक्रय न करने का कहने पर भी नहीं मानने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है । वादग्रस्त जायदाद को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमावे ।

वादीयों के वलिया श्रीमती हेमलता का कथन कि हिरजी की मृत्यु पर बजरिये नामांतरकरण संख्या 1614 दिनांक 20.07.1998 को हिरजी के फोत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 करण,पंकज व कलावती के नाम दर्ज हुई । ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण वारिसान का नामांतरकरण है, एवं उक्त कृषि भूमि पैतृक होकर मौरूसी जायदाद है । जिसमें सुजल व चिन्टू के जन्म से ही हक हित हिस्सा व अधिकार निहित हो गऐ है । गवाह 1 श्री करण कुमार तेली निवासी मकरानीवाडा, सुरजपोल का कथन कि नामान्तकरण 1614 दिनांक 20.07.1998 को जो नामान्तकरण किया गया है वह नियमानुसार सही है एवं वादीगण द्वारा किया वाद निराधार व मिथ्या सूचना पर आधारित है व बिना वाद का होने से खारिज किये जाने का निवेदन है ।हिरजी के फौत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई जो वारिसान के नाम नामान्तरण है। गवाह –2 श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री शंकरलाल तेली का कथन कि सूजल ,चिण्टु नाबालिंग की सनरक्षिका श्रीमती हेमलता कर रही है । हिरजी की मृत्यु पर उक्त भूमि करण, पंकज व कलावती के नाम दर्ज हुई चुंकि यह भूमि पैतृक होकर मोरूसी जायदाद है इसमें सूजल व चिन्टु का जन्म से ही हक, हित हिस्सा व अधिकार है । करण ,पंकज व कलावती उक्त खेत को विक्रय करने को उतारू है एवं सुजल व चिन्टू का हक हित हिस्सा होने से कानूनन करण,पंकज व कलावती विक्रय नंहीं कर सकते है तथा करण पंकज व कलावती के नाम खसरा रिकार्ड में सुजल व चिन्टू का नाम सहखातेदार के रूप में होना चाहिए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parivat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 16:01:23 IST
Reason: SelfAttested

वादी अभिभाषक ने अपने कथन में कहा की श्री करण के दो पुत्र सुजल व चिन्टु है। वादग्रस्त भूमि पेतृक समपत्ति है । पूर्व में यह खेत हिरजी पिता गलबा के नाम (सजरा कलम संख्या –3 में)से भी प्रतिवादी संख्या 1 करण ने अपनी पत्नि व बच्चो को घर से निकाल दिया है। वादग्रस्त भूमि में सुजल व चिन्टु का पुश्तेनी हक है । पिता करण का 1/3

हिस्सा है,उसमें वादी का भी हिस्सा है । कुल रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा में हमारा हिस्सा हमारे अधिकारों का है । प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में मात्र जवाब ही दिया है । जबकि प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के साथ दस्तावेज भी संलग्न किये है ।

प्रतिवादी अभिभाषक ने अपने कथन में कहा की हमारा कोई तलाक नही हुआ है,जो यह वाद लेकर आये है । हम वादग्रस्त भूमि विक्रय कर रहे है, ऐसे कोई दस्तावेज रिकार्ड पर भी नही है तथा न ही वादी ने ऐसे कोई प्रमाण दिये है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि को हम बेचान कर रहे है ।

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 आया ग्रम बासवाडा के खाता संख्या 121 तथा 110 पुराना के कु खेत 2 कुल रकबा 2.10 बीघा का वादीगण को प्रतिवादी 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

जिम्मे वादी

उक्त खाता संख्या की नकल जमाबंदी रिकार्ड पर है । भूमि वादीयों के दादा परदादा की होना प्रमाणित है । भूमि पुश्तेनी है । तथा वादी,प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है । गवाहान के कथन में भी यह प्रमाणित है की वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है । अतः तनकी संख्या एक वादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 आया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त विक्रय करने हेतु मार्च 2011 में वादकारण उत्पन्न हुआ ।

जिम्मे वादी

वादीगणों ने अपने वाद में यह कथन किया है की क्योंकि प्रतिवादीगण भूमि बेचने पर आमाद है , अतः वाद लाना पड रहा है । लेकिन किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित करने में विफल रहे है कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि को बेचान कर रहे हो । अतः वादगण उक्त तनकी को प्रमाणित करने में विफल रहे है। अतः उक्त तनकी वादीगणो के विरूद्व निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 आया वादीगण नाबालीग है। उनके संरक्षक प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार है। इसलिए वादीगण को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है ।

जिम्मे प्रतिवादी

यह प्रमाणित है की वादी नाबालीग है । लेकिन वादीगणों ने संरक्षक के रूप में वाद अपनी माता के जरिये प्रस्तुत किया है । प्रतिवादी संख्या 1 वादीगणें के पिता है , लेकिन संरक्षक के रूप में प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाणित नही है। वादीगणों ने अगर वाद माता को सरंक्षक बनाकर प्रस्तुत किया है , तो यह स्पष्ट है कि पिता (प्रतिवादी संख्या 1) अपने पिता होने के दायित्व को पूर्ण नहीं कर पा रहा है । प्रतिवादी के वाद पत्र के जवाब से भी यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Parivat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:23 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगणों के जैविक पिता जरूर है, लेकिन प्रस्तुत वाद में सरंक्षक के रूप में नहीं है । अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगणों के विरूद्व निर्णित की जाती है तनकी संख्या 4 दादरसी

वादी व प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सुनी गई,वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त का खाता संख्या 121 नया व 110 पुराना के खसरा नंबर 777 ,खसरा नंबर 2263 ,वाके ग्राम हल्का बांसवाडा में संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है, यह भूमि पैतृक होने से उक्त भूमि पर वादगण भी स्वतः हित व हिस्सा रखते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित होने के आदेश दिये जाने के साथ राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किये जाने आदेश दिया जाना विधिसम्मत है।नामान्तरण संख्या1614 (गवाह–2)से भी यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता हिरजी के फौत होने से विरासत से मिली है ।

आदेश

सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर आदेश जारी किया जाता है, की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त का खाता संख्या 121 नया व 110 पुराना के खसरा नंबर 777/1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा लगान 5.74 रूपया ,व खसरा नंबर 2263 रकबा 05 बिस्वा लगान 0.06 रू, कुल खेत 2 बीघा 10 बिस्वा कुल लगान 5.80 रू. वाके ग्रम बांसवाडा की उक्त कृषि भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मौरूसी जायदाद होने से व वादी के दादा हिरजी की भूमि में अपने पिता करण के साथ वादीगण का हित भी निहित हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में वर्णित सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है । वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 1/3–1/3 का सहखातेदार घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को भूमि में अपने हित के लिए किसी प्रकार से विघ्न उत्पन्न न करे ।

निर्णय खुले न्यायालय दिनांक 30.12.2019 सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:01:23 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2020.01.01 14:17:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: